झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0-402 वर्ष 2017

विकास कुमार हजारी

....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, गोड्डा
3. जिला खनन अधिकारी, गोड्डा
4. सहायक खनन अधिकारी, गोड्डा
5. प्रमाणपत्र अधिकारी और उप निदेशक, खान, संथाल

परगना सर्कल, दुमका।

....

उत्तरदाता(गण)

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

याचिकाकर्ता के लिए:- श्री सुमीत गदोडिया, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए:- ए0ए0जी0 के जे0सी0

2/31.1.2017 याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

16 जून, 2011 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए मौजा सरोटिया में याचिकाकर्ता को आवंटित रेत घाट से संबंधित बकाया राशि के संबंध में, उत्तरदाताओं ने रू0 5,40,000/- की सार्वजनिक मांग ब्याज और शुल्क उस पर देय साहित, उठाई है जो कि उत्तरदाता सं0 5 के समक्ष प्रमाणपत्र कार्यवाही सं0 02/2016-17 की विषय है। याचिकाकर्ता ने बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (अब झारखंड) की धारा 7 के तहत नोटिस प्राप्त करने के बाद इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है और अनुलग्नक-14, पत्र संख्या-951 दिनांक 19 अगस्त, 2016 पर रखा आदेश में हस्तक्षेप की मांग की है, जिसमें उसके खिलाफ बकाया देयता का निर्धारण सहायक खनन अधिकारी, गोड्डा द्वारा किया गया है।

चूंकि, प्रमाण पत्र कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है और याचिकाकर्ता के पास 1914 के अधिनियम की धारा 7 के तहत नोटिस के जवाब में कानून और तथ्य के आधार

पर सभी आपत्तियां उठाने का अवसर है, यह न्यायालय इस स्तर पर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता के लिए प्रमाण पत्र अधिकारी के समक्ष तथ्य और कानून के सभी उपलब्ध आधारों पर अपनी आपत्ति उठाने के लिए खुला है, जो कानून में बाध्य है, 1914 के अधिनियम के संदर्भ में निर्धारण करेगा।

तदनुसार, रिट याचिका को मामले में हस्तक्षेप किए बिना निपटाया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)

जेके